

वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 फरवरी, 2019-माघ 12, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

I, Shiraz Khalid Baig S/o Khalid Baig Born On 06/11/1989 R/o 104, Amar-Angan, Cm-2, Basant Vihar, Indore, Present R/o 122, Reliable hi Tech, Pipalner, Bhopal Have Changed My Name To Shiraz Baig Vide Affidavit Dated 17-11-2018.

Old Name:

(SHIRAZ KHALID BAIG)

(863-B.)

New Name :

(SHIRAZ BAIG)

नाम परिवर्तन

मैं, रामचरण दीपांकन आत्मज श्री महादेव उम्र 49 वर्ष, ग्राम बकियाबैलो, पोस्ट आफिस बकिया, तहसील रामपुर-बघेलान, जिला सतना मध्यप्रदेश वर्तमान निवासी सिंचाई कालोनी बैठन, जिला सिंगरौली का निवासी हूँ. मैं, कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा संभाग, सिंगरौली में सहायक वर्ग-3, के पद पर कार्यरत हूँ. आज दिनांक 01-01-2019 से मुझ शपथकर्ता का नाम रामचरण हरिजन आत्मज श्री महादेव के स्थान पर रामचरण दीपांकन आत्मज महादेव कर लिया हूँ अतः मुझ शपथकर्ता का नाम रामचरण हरिजन के बजाय, रामचरण दीपांकन के नाम से जाना व पहचाना जाये. इसके बावजूद यह शपथ-पत्र में निष्पादित करा रहा हूँ मेरे स्वयं की जानकारी में सही एवं सत्य है।

पुराना नाम :

(रामचरण हरिजन)

सहायक वर्ग-3.

नया नाम :

(रामचरण दीपांकन)

सहायक वर्ग-3

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
संभाग सिंगरौली (म.प्र.).

(865-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती चित्रा रूपानी सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम नीलम वसायानी पुत्री परसराम वसायानी (NEELAM VASAYANI D/O PARSARAM VASAYANI) था. मेरा विवाह सिंधी रीति-रिवाज से दिनांक 28-02-2003 को श्री नरेश रूपानी

के साथ हो गया है शादी के बाद मेरा परिवर्तित नाम श्रीमती चित्रा रूपानी पत्नी श्री नरेश रूपानी (SMT CHITRA RUPANI W/o NARESH RUPANI) हो गया है तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जानी-पहचाना जायें एवं मेरे सभी दस्तावेजों में यही पढ़ा जाये।

पुराना नाम :
(नीलम वसायानी)
(871-बी.)

नया नाम :
(चित्रा रूपानी)
निवासी-एच-25, नज़रीक राजवीर मंदिर, बैरागढ़,
तह. हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम विकास साकेत पिता श्री पंची साकेत है जिसे बदलकर विकास भारती पिता श्री पंची साकेत के नाम पढ़ा व लिखा जावे।

पुराना नाम :
(विकास साकेत)
पिता-श्री पंची साकेत.
(866-बी.)

नया नाम :
(विकास भारती)
ग्राम-धौरहरा, पो. बुढ़गौना,
जिला-सीधी (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मैं, भूपेंद्र कुमार मोहने उर्फ भूपेंद्र कुमार नामदेव आत्म स्वर्गीय श्री राम रत्न मोहने, उम्र निवासी-1261, नगर निगम मार्केट के पीछे, अधारताल, जबलपुर का निवासी हूं मुझे दोनों ही उपनाम/सरनेम से जाना जा रहा है मेरे विभिन्न शैक्षणिक दस्तावेजों में विभिन्न शासकीय कार्यालयों में तथा अन्य दस्तावेजों में उक्त दोनों ही उपनाम/सरनेम लिखते चले आ रहे हैं। दिनांक 09-02-2018 को मैं, भूपेंद्र कुमार मोहने उर्फ भूपेंद्र कुमार नामदेव द्वारा यह शपथ-पत्र दिया गया है कि आज दिनांक 09-02-2018 से मुझे भूपेंद्र कुमार नामदेव के नाम से ही जाना जावे व विभिन्न शासकीय संस्थानों में शैक्षणिक दस्तावेजों में तथा अन्य सभी दस्तावेजों में भूपेंद्र कुमार नामदेव के नाम से ही जाना जावे एवं पढ़ा जावे समस्त शासकीय, अशासकीय व अर्ध शासकीय संस्थानों में भूपेंद्र कुमार नामदेव के नाम से लेनदेन वैध होगा।

पुराना नाम :
(भूपेंद्र कुमार मोहने)
(872-बी.)

नया नाम :
(भूपेंद्र कुमार नामदेव)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम भारतीय जीवन बीमा की पॉलिसी नं. 200134513 में शुवम सिंह कुशवाह पुत्र श्री जयसिंह कुशवाह अंकित हो गया है जो कि गलत है। जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में सही नाम शिवम सिंह राजावत पुत्र श्री जयसिंह राजावत दर्ज है जो कि सत्य एवं सही है। अतः सूचना प्रकाशन के बाद मेरा नाम शिवम सिंह राजावत के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाये एवं उपयोग किया जावे।

पुराना नाम :
(SUBHAM SINGH KUSHWAH)
(873-बी.)

नया नाम :
(SHIVAM SINGH RAJAWAT)
पुत्र- श्री जयसिंह राजावत,
खुमान का पुरा, तह. गोहद,
थाना मालनपुर, जिला भिण्ड (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मेरा नाम JITENDRA NEERAJ S/o KANhaiYA NEERAJ है मेरे समस्त दस्तावेजों में अंकित है हायर सेकेण्ड्री की अंकसूची में मेरा नाम JITENDRA S/o KANhaiYA अंकित है मुझे JITENDRA NEERAJ S/o KANhaiYA NEERAJ के नाम से जाना-पहचाना जाये।

पुराना नाम :
(JITENDRA)
(876-B.)

नया नाम :
(JITENDRA NEERAJ)
H.No.9 Eden Garden, Amrawat Khurd,
BDA Road, Bhopal (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मेरा नाम KAILASH CHANDRA SHARMA S/O SUNDER LAL SHARMA है मेरे समस्त दस्तावेजों में अंकित है हायर सेकेण्ड्री की अंकसूची में मेरा नाम KAILASH CHANDRA S/O SUNDER LAL अंकित है मुझे KAILASH CHANDRA SHARMA S/O SUNDER LAL SHARMA के नाम से जाना पहचाना जाये।

पुराना नाम :

(KAILASH CHANDRA)

(875-B.)

नया नाम :

(KAILASH CHANDRA SHARMA)

पता-म.न.5, भवानी श्री लक्ष्य क्षत्रसाल,
फेस-1, नियर इन्डपुरी, भोपाल।

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विक्रांत कुमार परदेशी पुत्र श्री अशोक कुमार परदेशी है जो कि मेरे समस्त दस्तावेज में दर्ज है अब मेरा सरनेम बदलकर विक्रांत कुमार कश्यप हो गया है अब मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाए।

पुराना नाम :

(विक्रांत कुमार परदेशी)

(877-बी.)

नया नाम :

(विक्रांत कुमार कश्यप)

पता-म.न. 33, चित्रगुप्त नरग कोटरा,
सुल्तानाबाद, भोपाल (म.प्र.). 462011.

NOTICE

U/S 72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that in the firm of M/s JAIN GROUP AND ASSOCIATES registered office at 153, Raghunandan Marg, Thandla Dist. Jhabua (M.P.), 457777 a partnership firm vide Registration No.03/29/04/0180/15/2015-16 dated 08-10-2015 with the Registrar of firms, which was constituted vide partnership deed executed on 01-03-2013 and the initial partners where Shri Bharatlal Bhansali S/o Shri Sundara lal Bhansali, Lalit Kumar S/o Sundar lal Bhansali, Anil Bhansali S/o Sundar lal Bhansali, Chanda Bhansali W/o Anil Bhansali. Usha Bhansali W/o Bharat lal Bhansali, Sandhya Bhansali W/o Lalit Kumar Bhansali, Vardhman Talera S/o Shri Khemraj Talera, Mayur Talera S/o Vardhman Talera, Shanta Talera W/o Shri Surendra Kumar Talera and Prafful Kumar Talera S/o Surendra Kumar Talera. w.e.f. 12-12-2017 the following partners has been retired.

1. Anil Bhansali S/o Shri Sundar lal Bhansali
 2. Smt. Chanda Bhansali W/o Shri Anil Bhansali
- and the following New Partners taken in the running firm.
1. Lavesh Kumar Mehta S/o Shri Vinod Kumar Mehta R/o Tal Tehsil Alot Dist. Ratlam
 2. Rajendra Kumar Mehta S/o Shri Vinod Kumar Mehta R/o Tal Tehsil Alot Dist. Ratlarn vied partnership deed executed on 12/12/2017.

M/s Jain Group & Associates,
भरतलाल भंसाली, ललीत भंसाली, उषा भंसाली,
संध्या भंसाली, वर्धमान तलैरा, मयुर तलैरा,
शांता तलैरा, प्रफुल्ल कुमार तलैरा,
राजेन्द्र कुमार मेहता, लवेश कुमार मेहता,
(Partner).

(860-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स काबरा आइस एंड कोल्ड स्टोरेज जो कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0255/17, से पंजीकृत है मैं दिनांक 08-06-2018 से श्री बाबूलाल जी काबरा

पिता स्व. कन्हैया लाल जी काबरा (पार्टनर) पता-32, भक्त प्रहलाद नगर, इंदौर (म.प्र.) के निधन के बाद से निम्न तीन पार्टनर्स हैं जिनके नाम 1. श्री विष्णुप्रकाश जी काबरा पिता स्व. श्री बाबुलालजी काबरा, पता-32, भक्त प्रहलाद नगर, इंदौर (म.प्र.) 2. श्री शुभम जी काबरा पिता श्री विष्णु प्रकाश जी काबरा, पता-32, भक्त प्रहलाद नगर, इंदौर (म.प्र.), 3. श्री सौरभ जी काबरा पिता श्री विष्णु प्रकाश जी काबरा, पता-32, भक्त प्रहलाद नगर, इंदौर (मध्यप्रदेश) अतैव फर्म के संचालन से सम्बंधित सभी कार्यों में शेष भागीदार उत्तरदायी व जवाबदार रहेंगे।

For Kabra Ice & Cold Storage,

विष्णु प्रकाश काबरा,

शुभम काबरा,

सौरभ काबरा,

(भागीदार).

(861-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स शेर बीड़ी एजेन्सी जिसका पंजीयन क्रमांक 494, दिनांक 03-07-1963 है जो दौलतगंज, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है। जो कि दिनांक 09-01-2019 से फर्म का मुख्य कार्यालय दौलतगंज, लश्कर ग्वालियर से परिवर्तित कर नवीन कार्यालय- ब्लॉक न. 302, (ब्लॉक-बी) तृतीय तल “ ऐथिना ” एस.पी. ऑफिस के पीछे, सिटी सेन्टर, ग्वालियर में परिवर्तित हो गया है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म - शेर बीड़ी एजेन्सी,

अरविन्द अग्रवाल,

(भागीदार).

(862-बी.)

पता-दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कारपोरेशन जिसका पंजीयन क्रमांक 180, दिनांक 22-04-1977 है जो टोपी बाजार, जीवाजी चौक, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है। जो कि दिनांक 09-01-2019 से फर्म का मुख्य कार्यालय टोपी बाजार, जीवाजी चौक, लश्कर, ग्वालियर से परिवर्तित कर नवीन कार्यालय- ब्लॉक न. 302, (ब्लॉक-बी) तृतीय तल “ ऐथिना ” एस.पी. ऑफिस के पीछे, सिटी सेन्टर, ग्वालियर में परिवर्तित हो गया है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म - अग्रवाल ट्रेडिंग कारपोरेशन,

अरविन्द अग्रवाल,

(भागीदार).

(864-बी.)

पता-टोपी बाजार, जीवाजी चौक,

लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी मैसर्स वर्धमान इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड रियालिटीज नाम से एक भागीदार फर्म है। इस फर्म के एक भागीदार स्व. श्री महेन्द्र कुमार जैन आत्मज स्व. श्री प्रेमचन्द जी जैन का स्वर्गावास दिनांक 30-10-2018 को हो गया था। अतः वे स्वतः भागीदार के रूप में निष्कासित हो गये। उपरांत दिनांक 31-10-2018 तक फर्म का व्यवसाय स्थगित रहा। उपरांत दिनांक 01-11-2018 से फर्म के बाकी भागीदार तथा (1) श्री अंशुल गोयल आत्मज स्व. श्री महेन्द्र कुमार जैन (2) श्री अक्षित गोयल आत्मज स्व. श्री महेन्द्र कुमार जैन (3) श्रीमती सरिता जैन पत्नि स्व. श्री महेन्द्र कुमार जैन (4) श्रीमती शिल्पा गोयल पत्नि श्री अंशुल गोयल एवं (5) श्रीमती प्रगति गोयल पत्नि श्री अक्षित गोयल द्वारा सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भागीदारों द्वारा फर्म का व्यवसाय उसके मूल नाम से उत्तरजीवी भागीदारों द्वारा फर्म की सभी सम्पत्तियां व दायित्वों के साथ जारी रखा जाएगा।

सर्व-साधारण को सूचनार्थ है।

वर्धमान इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड रियालिटीज ,

अंशुल गोयल.

(भागीदार).

(867-बी.)

आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी मैसर्स “ अक्षित आटो एजेंसी ” नाम से एक भागीदार फर्म है। इस फर्म के एक भागीदार स्व. श्री महेन्द्र कुमार जैन आत्मज स्व. श्री प्रेमचन्द जी जैन का स्वर्गावास दिनांक 30-10-2018 को हो गया था।

अतः वे स्वतः भागीदार के रूप में निष्कासित हो गये। उपरांत दिनांक 31-10-2018 तक फर्म का व्यवसाय स्थगित रहा। उपरांत दिनांक 01-11-2018 से फर्म के बाकी भागीदार तथा (1) श्री अंशुल गोयल आत्मज स्व. श्री महेन्द्र कुमार जैन (2) श्री अक्षित गोयल आत्मज स्व. श्री महेन्द्र कुमार जैन (3) श्रीमती सरिता जैन पत्नि स्व. श्री महेन्द्र कुमार जैन (4) श्रीमती शिल्पा गोयल पत्नि श्री अंशुल गोयल एवं (5) श्रीमती प्रगति गोयल पत्नि श्री अक्षित गोयल द्वारा सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भागीदारों द्वारा फर्म का व्यवसाय उसके मूल नाम से उत्तरजीवी भागीदारों द्वारा फर्म की सभी सम्पत्तियां व दायित्वों के साथ जारी रखा जाएगा।

अक्षित आटो एजेंसीज,
अंशुल गोयल,
(भागीदार)।

(868-बी.)

आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी मेसर्स वर्धमान रेसीडेंसी नाम से एक भागीदार फर्म है। इस फर्म के एक भागीदार स्व. श्री महेन्द्र कुमार जैन आत्मज स्व. श्री प्रेमचन्द्र जी जैन का स्वर्गवास दिनांक 30-10-2018 को हो गया था। अतः वे स्वतः भागीदार के रूप में निष्कासित हो गये। उपरांत दिनांक 31-10-2018 तक फर्म का व्यवसाय स्थगित रहा। उपरांत दिनांक 01-11-2018 से फर्म के बाकी भागीदार तथा (1) श्री अंशुल गोयल आत्मज स्व. श्री महेन्द्र कुमार जैन (2) श्री अक्षित गोयल आत्मज स्व. श्री महेन्द्र कुमार जैन (3) श्रीमती शिल्पा गोयल पत्नि श्री अंशुल गोयल एवं (4) श्रीमती प्रगति गोयल पत्नि श्री अक्षित गोयल द्वारा सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भागीदारों द्वारा फर्म का व्यवसाय उसके मूल नाम से उत्तरजीवी भागीदारों द्वारा फर्म की सभी सम्पत्तियां व दायित्वों के साथ जारी रखा जाएगा।

वर्धमान रेसीडेंसी,
अंशुल गोयल,
(भागीदार)।

(869-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सुदर्शन फायनेंस कम्पनी जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00228/13, दिनांक 18-01-2013 है जो “ गोपाल भवन ” संजय कॉम्प्लेक्स, जयेन्द्रगंज, लश्कर ग्वालियर (मध्यप्रदेश) में स्थित है जो कि दिनांक 09-01-2019 से फर्म का मुख्य कार्यालय “ गोपाल भवन ” संजय कॉम्प्लेक्स, जयेन्द्रगंज, लश्कर, ग्वालियर से परिवर्तित कर नवीन कार्यालय- ब्लॉक नं. 302, (ब्लॉक-बी) तृतीय तल “ ऐथिना ” एस. पी. ऑफिस के पीछे, सिटी सेन्टर, ग्वालियर में परिवर्तित हो गया है। आमजन एवं सर्वजन सूचति होते हैं।

फर्म - सुदर्शन फायनेंस कम्पनी,
अरविन्द अग्रवाल,
(भागीदार)।

(870-बी.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firms " M/s D.R. Construction Company " of Bhopal Vide Registration No. 01/01/01/0258/2016-2016-17, Bhopal Dated of Registration 21/10/2016 undergone the following changes.

- That Shri Sanjay Mishra S/o, Shri Roopendra Mishra has joined the Partnership Firm and Change the name of Partnership Firm to " M/s D.R. Construction Company " w.e.f. 04/09/2018.

" M/s D.R. Construction Company,"
Roopendra Mishra,
(Partner)
Plot No. 5-6, Phase-1, Golf Links,
Lalghati, Bhopal.

(874-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला खरगोन

रा.प्र.क्र.02/बी-113(1)/2018-19.

प्रो.क्र./18-19.

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एवं 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं
मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

समक्ष पंजीयक लोक न्यास.

चूँकि प्रार्थी अध्यक्ष, “पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा न्यास खरगोन”, पता- 27, प्रथम मंजील जवाहर मार्ग, खरगोन तहसील व जिला खरगोन द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल संपत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
01	चल संपत्ति	निरंक	निरंक -
02	अचल संपत्ति	निरंक	निरंक -

(67)

रा.प्र.क्र.03/बी-113(1)/2018-19.

प्रो.क्र./18-19.

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एवं 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं
मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

समक्ष पंजीयक लोक न्यास.

चूँकि प्रार्थी अध्यक्ष, “शमसुद्दीन शेख पत्रकार चेरिटेबल ट्रस्ट खरगोन”, पता- पठानवाड़ी, खरगोन तहसील व जिला खरगोन द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल संपत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
01	चल संपत्ति	निरंक	निरंक -
02	अचल संपत्ति	निरंक	निरंक -

(68)

अभिषेक गेहलोत,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, राजपुर जिला-बड़वानी

रा.प्र.क्र. 0001/बी-113/2018-19.

फार्म नंबर-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास, 1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास, 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास, बड़वानी जिले के समक्ष।

चूंकि “विश्वकर्मा कक्षुहास पांचाल समाज राजपुर” तहसील राजपुर जिला बड़वानी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की गई आपत्तियों या सुझाव देने का विचार रखता हो तो इस सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है कि “विश्वकर्मा कक्षुहास पांचाल समाज राजपुर” सेवा संस्थान ट्रस्ट एक लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास जिला बड़वानी का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में नियत दिनांक को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थावित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी इसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 01 माह (एक माह) के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोई में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा।

वीरसिंह चौहान,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(69)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, जबलपुर

रा.प्र. क्र. 01/बी-113(1)/2018-19.

जारी दिनांक 28 दिसम्बर, 2018

प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

चूंकि श्रीमती सुशीला तोमर पत्नी स्व. श्री इंद्र सिंह तोमर, निवासी बीजासन माता मंदिर, न्यू इंदिरा नगर, सुहागी, जबलपुर के द्वारा “पूज्य इंद्र सिंह तोमर (भैयाजी)” पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26 फरवरी, 2019 को विचार के लिए नियत किया गया है। कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण एवं लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम एवं पता : “पूज्य इंद्र सिंह तोमर (भैयाजी)”
2. चल सम्पत्ति : नगद 2100/- रुपये एवं 30482/- बैंक में जमा राशि एवं 5 किलो 500 ग्राम चांदी के जेवर।
4. अचल सम्पत्ति : ग्राम सुहागी के खसरा क्रमांक 21/48 रकवा 2400 वर्गफुट, खसरा क्रमांक 21/79 रकवा 2875 वर्गफुट, खसरा क्रमांक 21/1 रकवा 6386 वर्गफुट एवं मंदिर।

नमः शिवाय अरजरिया,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(71)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक सागर, जिला सागर

रा.प्र.क्र./बी-113-वर्ष 2018-19.

प.क्र.-292/2018/26/12/2018.

मौजा-खुशीपुरा, मोहन नगर, वार्ड सागर.

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सी.एस. मुणोत अध्यक्ष श्री देवकेशरियानाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट कमेटी मोहननगर वार्ड, सागर ट्रस्ट क्रमांक 65, श्री देव केशररियानाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट खुशीपुरा वर्तमान मोहन नगर वार्ड, सागर में लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन ट्रस्ट के प्रस्ताव क्रमांक 2, दिनांक 02-10-2018 के अनुसार पूर्व में कोई नियमावली नहीं होने के कारण नई नियमावली संलग्न छायाप्रति अनुसार ट्रस्ट रजिस्टर में दर्ज किये जाने एवं अंकित मुणोत को उपाध्यक्ष तथा प्रकाशचंद्र जैन को सचिव नियुक्त किये जाने बाबत लेख किया।

अतः उपरोक्त ट्रस्ट का ट्रस्ट पंजी में संशोधन किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा उजर हो तो वह पेशी दिनांक 28-01-2019 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है बाद गुजरने म्यांद के किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की पदमुद्रा से जारी।

पेशी दिनांक 28 जनवरी, 2019.

जारी दिनांक 20 दिसम्बर, 2018.

ए.ल. के. खरे,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्टर्ड, पब्लिक ट्रस्ट, रा. परि. टी. टी. नगर, भोपाल

प.क्र. 01/बी-113/2018-19.

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम-1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि (माँ मात्रे ट्रस्ट) द्वारा श्री भज्जू सिंह श्याम मैनेजिंग ट्रस्टी, निवासी- 57, आकाशवाणी कालोनी, कोटरा सुल्तानाबाद, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत् एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीयन कराये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 22 जनवरी, 2019 को विचार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|------------------|---|-------------------|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | माँ मात्रे ट्रस्ट |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | निल. |
| 3. चल सम्पत्ति | : | निल. |

आज दिनांक 17 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

संजय कुमार श्रीवास्तव,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्टर.

(85)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बालाघाट वनमण्डल, बालाघाट

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

वन परिक्षेत्र उत्तर उक्तवा (सा.) परिक्षेत्र के अंतर्गत बीट किनीया के SCI कुप VI वनकक्ष क्रमांक 1852 रक्का 55.65 हेक्टे. क्षेत्र में मार्किंग कार्य हेतु इस कार्यालय के चालान नं. 41, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 के द्वारा प्रदाय किया गया था तथा कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी

उत्तर उक्ता (सा.) परिक्षेत्र के चालान नं. 16, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 के द्वारा परिक्षेत्र सहायक श्री शिवदयाल भोयर को हेमर प्रदाय किया गया था, जिनके द्वारा बीट गस्ती के दौरान बैग की सिलाई खुलने के कारण बैग में रखा हेमर रस्ते में कहीं गुम हो गया। उक्त हेमर को खोजने का हर संभव प्रयास किये गये, किन्तु विफल रहा। जिसके पश्चात् हेमर गुमने की सूचना पुलिस थाना मलॉजखण्ड में दी गई है।


श्री शिवदयाल भोयर (प.स.) को उक्त कृत्य के लिए इस कार्यालय के पत्र क्र./म.चि./3935, बालाघाट, दिनांक 22 सितम्बर, 2018 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया जिनके जवाब में उनके द्वारा 20 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत किया गया। प्राप्त उत्तर के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री शिवदयाल भोयर द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के कारण हेमर गुमा है। अतः उक्त हेमर न मिलने की स्थिति में यह आदेशित किया जाता है कि—

आदेश

आदेश क्रमांक/मा.चि./02

बालाघाट, दिनांक 05/01/2018

वन वित्तीय नियम-124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर निम्न मार्किंग हेमर को भण्डार एवं अभिलेख से अपलेखित किया जाता है।—



श्री शिवदयाल भोयर, प.स. के वेतन से हेमर की राशि 550/- (पाँच सौ पचास रुपये मात्र) एक मुश्त वसूल की जावे। शासकीय कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के फलस्वरूप भविष्य के लिये चारित्रिक चेतावानी दी जाती है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त हेमर मिलता है तो निकटतम थाने या वन विभाग के किसी भी कार्यालय में जमा करें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त आकृति के हेमर को अनाधिकृत रूप से अपने अधिकार में रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया जाता है तो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-63 बी के अनुसार अभियोजन चलाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागीदार होगा। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

एस. के. एस. तिवारी,

(72)

वनमण्डलाधिकारी।

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटीज, उपायुक्त सहकारिता, जिला धार

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/17/1158 धार, दिनांक 11 मई, 2017 अनुसार राजा भोज बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धार, विकासखण्ड धार, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./1506, दिनांक 29 मई, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, किन्तु प्रदत्त अवसर के उपरांत भी संस्था ने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। परीक्षण में पाया गया कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत वर्षों उसका कार्य पूर्णतः करना बंद है। इससे स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन कि स्वयं सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये राजा भोज बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धार, विकासखण्ड धार, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70(1) के अंतर्गत श्री कमलसिंह गार्ड, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 02 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(73)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/17/1130 धार, दिनांक 11 मई, 2017 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बलवाडा विकासखण्ड धरमपुरी, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./1584 दिनांक 26 फरवरी, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, किन्तु प्रदत्त अवसर के उपरांत भी संस्था ने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। परीक्षण में पाया गया कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों

का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्ष से उसका कार्य पूर्णतः करना बंद है। इससे स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। सर्वोपरि विचारणीय तथ्य यह है कि स्वयं संस्था के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2016 को आवेदन प्रस्तुत कर पंजीयन निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त स्थिति किसी भी आगामी वैधानिक कार्यवाही का पूर्ण आधार है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन कि स्वयं सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बलवाडा विकासखण्ड धरमपुरी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70(1) के अंतर्गत श्री बबलु चौहान, सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 02 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(74)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/17/1105 धार, दिनांक 11 मई, 2017 अनुसार भारूड साख सहकारी संस्था मर्या., गुलझरा, विकासखण्ड धरमपुरी, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./1486 दिनांक 08 जनवरी, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, किन्तु प्रदत्त अवसर के उपरांत भी संस्था ने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। परीक्षण में पाया गया कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत वर्षों से उसका कार्य पूर्णतः करना बंद है। इससे स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। सर्वोपरि विचारणीय तथ्य यह है कि स्वयं संस्था के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 27 जून, 2016 को आवेदन प्रस्तुत कर पंजीयन निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त स्थिति किसी भी आगामी वैधानिक कार्यवाही का पूर्ण आधार है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन कि स्वयं सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारूड साख सहकारी संस्था मर्या., गुलझरा, विकासखण्ड धरमपुरी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70(1) के अंतर्गत श्री बबलु चौहान, सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 02 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(75)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/17/1103 धार, दिनांक 11 मई, 2017 अनुसार सदगुरु साख सहकारी संस्था मर्या., कुक्षी, विकासखण्ड कुक्षी, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./1512 दिनांक 30 अप्रैल, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, किन्तु प्रदत्त अवसर के उपरांत भी संस्था ने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। परीक्षण में पाया गया कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा संस्था पंजीयन दिनांक से उसका कार्य पूर्णतः करना बंद है। इससे स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। सर्वोपरि विचारणीय तथ्य यह है कि स्वयं संस्था के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 25 मई, 2016 को आवेदन प्रस्तुत कर पंजीयन निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त स्थिति किसी भी आगामी वैधानिक कार्यवाही का पूर्ण आधार है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन कि स्वयं सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये सदगुरु साख सहकारी संस्था मर्या., कुक्षी, विकासखण्ड कुक्षी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70(1) के अंतर्गत श्री जी. एस. कनेश, सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 02 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(76)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/17/1155 धार, दिनांक 11 मई, 2017 अनुसार शंकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तरसिंगा,

विकासखण्ड बाग, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./1512 दिनांक 30 अप्रैल, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, किन्तु प्रदत्त अवसर के उपरांत भी संस्था ने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। परीक्षण में पाया गया कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत वर्षों से उसका कार्य पूर्णतः करना बंद है। इससे स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन कि स्वयं सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये शंकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तरसिंगा, विकासखण्ड बाग, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70(1) के अंतर्गत श्री जी. एस. कनेश, सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 02 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(77)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/17/1154 धार, दिनांक 11 मई, 2017 अनुसार अम्बिका कृषि एवं बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धार, विकासखण्ड उमरबन, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./1411 दिनांक 08 जनवरी, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, किन्तु प्रदत्त अवसर के उपरांत भी संस्था ने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। परीक्षण में पाया गया कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत 4 वर्ष से उसका कार्य पूर्णतः करना बंद है। इससे स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। सर्वोपरि विचारणीय तथ्य यह है कि स्वयं संस्था के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2016 को आवेदन प्रस्तुत कर पंजीयन निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त स्थिति किसी भी आगामी वैधानिक कार्यवाही का पूर्ण आधार है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन कि स्वयं सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये अम्बिका कृषि एवं बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धार, विकासखण्ड उमरबन, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70(1) के अंतर्गत श्री कमलसिंह गार्ड, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 02 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(78)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/17/1225 धार, दिनांक 23 मई, 2017 अनुसार निर्जला बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोठीसोडपुर, विकासखण्ड नालछा, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./1291 दिनांक 15 नवम्बर, 2011 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, किन्तु प्रदत्त अवसर के उपरांत भी संस्था ने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। परीक्षण में पाया गया कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत वर्षों उसका कार्य पूर्णतः करना बंद है। इससे स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन कि स्वयं सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 27 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्जला बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोठीसोडपुर, विकासखण्ड नालछा, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70(1) के अंतर्गत श्री भूदीप सक्सेना, सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 02 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(79)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/17/756 धार, दिनांक 16 मई, 2016 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रत्नपुरा, विकासखण्ड बदनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./1601 दिनांक 12 जून, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, किन्तु प्रदत्त अवसर के उपरांत भी संस्था ने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। परीक्षण में पाया गया कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत वर्षों से उसका कार्य पूर्णतः करना बंद है। इससे स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन कि स्वयं सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 27 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रत्नपुरा, विकासखण्ड बदनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एम.सी. पालीवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 02 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

अम्बरीष वैद्य,
डिप्टी रजिस्ट्रार।

(80)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें, चंबल संभाग, मुरैना

मुरैना, दिनांक 14 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70 के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2019/38.—चंबल क्रय-विक्रय विपणन एवं भण्डारण सहाकारी संस्था मर्या., भिण्ड जिसका पंजीयन क्रमांक/JR/MNA/01, दिनांक 24 जनवरी, 2012 तथा कार्यक्षेत्र संपूर्ण चंबल संभाग है की पंजीयन वर्ष 2011-12 से वर्ष 2016-17 की अंकेक्षण टीपों एवं संस्था द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक/07, दिनांक 26 जुलाई, 2018 के संलग्न वर्ष 2017-18 के वित्तीय पत्रकों के अनुसार स्वतः प्रतीत होते हैं कि संस्था धरातल पर कार्य न करते हुये मात्र कागजी स्तर पर खानापूर्ति कर संचालित की जा रही है जिसके अंतर्गत संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें, अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2018/846, मुरैना दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया था।

1. संस्था में पंजीयन दिनांक 24 जनवरी, 2012 पर 31 सदस्य थे जिनकी संख्या दिनांक 31 मार्च, 2017 पर भी यथावत 31 ही पेपरों के आधार पर दर्शाई जा रही है इससे स्वतः स्पष्ट है कि संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण चंबल संभाग होने के उपरांत भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई। स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक वास्तविक रूप से कोई कार्य ही नहीं किया है।
2. वित्तीय पत्रक वर्ष 2014-15 में आमदनी खर्च पत्रक में प्रवेश शुल्क राशि रुपया 775.00 जमा होना बताया गया है साथ ही इस राशि को बैंक संस्पेश खाते नामे किया गया है। संस्था की पंजीकृत उपविधि क्रमांक 04(5) में प्रवेश शुल्क राशि जमा होने के उपरांत सदस्यों की संख्या में आलोच्य वर्ष में वृद्धि होना थी किन्तु अंकेक्षण टीप में वृद्धि होना अंकित न होने से अंशपूंजी राशि कालकल्पित तरीके से कागजी उद्देश्यों हेतु अंकित की है।
3. संस्था की उपविधि क्रमांक 14(1) के अनुसार रुपये तीन लाख के तीन हजार अंश होंगे जो व्यक्तिगत सदस्यों को दिये जावेंगे। प्रत्येक अंश का मूल्य रुपये 100.00 होगा का उल्लेख है। संस्था की अंशपूंजी सदस्यान वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक यथावत 3100.00 रुपये रही वर्ष 2015-16 में इसमें मात्र एक अंश राशि 100.00 की वृद्धि हुई तब से दिनांक 31 मार्च, 2018 तक अंशपूंजी सदस्यान राशि 3200.00 यथावत है। अर्थात् संभागीय स्तर की संस्था जिसकी व्यक्तिगत सदस्यों की अंशपूंजी तीन लाख नियत है उसके विरुद्ध मात्र 3200.00 रुपये अंशपूंजी है। इससे स्वतः स्पष्ट है कि संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में पूर्णतः विफल रही है।
4. वित्तीय पत्रकों में संस्था द्वारा अध्यक्ष की अमानत जमा व वापिस कर आय-व्यय को पेपर ट्रांजक्शन दिया गया है अर्थात् अध्यक्ष की अमानत जमा कर कीटनाशक औषधियों को क्रय करना बताया है जो वास्तविक रूप से न होकर पेपर ट्रांजक्शन बताया है। अध्यक्ष अमानत खाते की वर्षवार विगत निम्नतालिक से स्पष्ट है।

वित्तीय वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में	वर्ष में जमा राशि	वर्ष में वापिस राशि	वर्षान्त पर शेष राशि
निरंक	निरंक			
2012-13		20,000.00		20,000.00

वित्तीय वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में	वर्ष में जमा राशि	वर्ष में वापिस राशि	वर्षान्त पर शेष राशि
2013-14	20,000.00	8,411.00	7,800.00	20,611.00
2014-15	20,611.00	650.00	3,875.00	17,386.00
2015-16	17,386.00	5505.00	7,000.00	15,891.00
2016-17	15,891.00	निरंक	निरंक	15,891.00
2017-18	15,891.00	15,000.00	15,000.00	15,891.00

5. उपविधि क्रमांक 03 के अनुसार संस्था का उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर अपने सदस्यों एवं कृषकों के आर्थिक हितों का संरक्षण कर उन्हें बिचोलियों के शोषण से मुक्त कराना है। इस हेतु 01 लगायत 11 बिन्दु अंकित किये गये हैं कि किन्तु संस्था के व्यापारिक पत्रकों के अनुसार संस्था ने मात्र कीटनाशक औषधिक का क्रय-विक्रय किया गया है वर्षावार व्यापारिक लाभ (सकल लाभ) सहित विगत तालिकानुसार निम्न हैं:-

6.

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में	कीटनाशक औषधि	कीटनाशक औषधि	व्यापारिक लाभ
	स्टॉक	क्रय	विक्रय	
2011-12	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2012-13	निरंक	18750.00	24050.00	5300.00
2013-14	निरंक	38100.00	41000.00	2900.00
2014-15	निरंक	22650.00	27915.00	5265.00
2015-16	निरंक	22350.00	27100.00	4750.00
2016-17	निरंक	38065.00	44480.00	6815.00
2017-18	निरंक	32500.00	37900.00	4090.00

उक्त से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वास्तविकता से परे मात्र औपचारिकता की दृष्टि से कागजी कार्यवाही के आधार पर व्यापारिक पत्रकों की संरचना की गई है। इस बात की पुष्टि उक्त तालिका में सबसे कम राशि 24050.00 की औषधियां विक्रय करने पर लाभ 5300.00, 27915.15 की बिक्री पर लाभ 5265.00, 27100.00 की बिक्री पर लाभ 4750.00 बताया है वहीं राशि 41000.00 की बिक्री पर 2900.00 जो पूर्णतः वास्तविकता से परे होकर काल्पनिक दर्शाया गया है।

7. संस्था द्वारा बैंक बचत खाते में वर्षावार कोई लेनदेन नहीं किया गया है इससे स्वतः स्पष्ट है कि संस्था द्वारा जो भी लेनदेन वित्तीय पत्रकों में दर्शाये गये हैं वह मात्र पेपर ट्रांजक्शन की श्रेणी में परलक्षित होते हैं। बैंक बचत खाते के लेनदेन की वर्षावार स्थित तालिका अनुसार निम्न है:-

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में	वर्ष में खाते में जमा	वर्ष में खाते से आहरण	वर्षान्त पर खाते में शेष
2011-12	निरंक	3100.00	निरंक	3100.00 (स्पेंश)
2012-13	3100.00 (स्पेंश)	निरंक	निरंक	3100.00 (स्पेंश)
2013-14	3100.00 (स्पेंश)	निरंक	निरंक	3100.00 (स्पेंश)
2014-15	3100.00 (स्पेंश)	775.00 (स्पेंश)	3,875.00 (स्पेंश)	7375.00
		7375		
2015-16	7375.00	निरंक	निरंक	7375.00
2016-17	7375.00	निरंक	57.25 (लागू से)	7317.75
2017-18	7317.75	निरंक	निरंक	7317.75

8. संस्था द्वारा वर्षावार शुद्ध लाभ होना पत्रकों में अंकित किया है किन्तु सचित लाभ का विभजन संस्था स्तर से नहीं किया गया है. जिसका विवरण तालिका अनुसार निम्न है:-

वित्तीय वर्ष	वर्ष में लाभ	वर्षान्त पर सचित लाभ	वर्ष में लाभ का विभाजन	रिमार्क
2011-12	निरंक	निरंक	निरंक	
2012-13	3300.00	3300.00	निरंक	
2013-14	539.00	3839.00	निरंक	
2014-15	2538.00	6377.00	निरंक	
2015-16	1574.00	7951.00	निरंक	
2016-17	1177.75	9128.75	निरंक	
2017-18	1190.00	10318.75	निरंक	

संस्था द्वारा वास्तविकता से परे कालकलिप्त लाभ पत्रकों में अंकित किया है यही कारण है कि संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि क्रमांक 23 के अनुसार आमसभा की स्वीकृति से शुद्ध लाभ (नेट प्राफिट) का वितरण नहीं किया गया है. इससे स्पष्ट है कि संस्था ने उपविधि क्रमांक 30 (3) लाभ का वितरण स्वीकृत न कर अपने कर्तव्यों के पालन में चूक की है.

9. संस्था द्वारा अपने वित्तीय पत्रक पंजीकरण अधिकारी (संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, चंबल संभाग, मुरैना) के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये यही कारण है कि संस्था के वित्तीय पत्रक/अंकेक्षण टीपों सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित नहीं की गई. वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक की अंकेक्षण टीपों को उप आयुक्त भिण्ड स्तर से निर्गमित किया गया है. संस्था द्वारा संभागीय स्तर पर वित्तीय पत्रक/ऑडिट रिपोर्ट भी प्रस्तुत न कर वैधानिक कमियों को छिपाया गया है.

10. संस्था की अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों एवं सुझावों में मुख्यतः अंशप्रामाण पत्र जारी नहीं करने से उपविधि क्रमांक 16 के पालन में चूक, सदस्यता पंजी संधारित न करने/उपलब्ध नहीं करने से उपविधि क्रमांक 5 (3) तथा अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने से अधिनियम की धारा 61 त्रुटियों की परिशुद्धि के पालन में चूक होना परलक्षित हुआ है.

उक्त से स्पष्ट है कि संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति सहित अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के अनुपालन में पूर्णत विफल रही है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अनुसार स्वप्रेरणा से संज्ञान में आया है कि :-

(ए/क) अनुसार संस्था ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर वास्तविक रूप से कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.

(बी/ख) अनुसार संस्था का गठन अपने सदस्यों के हित अनुरूप न पाया जाकर मात्र राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु गठन होना पाया गया है.

अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) अनुसार जहां उस सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन की किन्हीं ऐसी शर्तों का, जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया है. ऐसी दशा में उक्त से स्पष्ट है कि संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में पूर्णतः विफल रहने से कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2018/846 मुरैना दिनांक 27-09-2018 को जारी किया गया था तथा उक्त सूचना-पत्र संस्था कार्यालय के पते पर पंजीकृत डाक से भेजा गया, जो पता सही न होने से वापिस इस कार्यालय को प्राप्त हुआ. उसके उपरांत कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/2018/898 मुरैना दिनांक 31-10-2018 को भेजा गया. जिसका जबाब अप्राप्त रहा तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/2018/937 मुरैना दिनांक 24-11-2018 को तृतीय बार भेजा गया जिसका भी जबाब अप्राप्त रहा, तदौपरांत कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/2018/966 मुरैना दिनांक 05-12-2018 को संलग्न कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला भिण्ड के माध्यम से भेजा गया जो अध्यक्ष को दिनांक 05-01-2019 को प्राप्त होने पर भी उनके द्वारा जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया परंतु संस्था प्रबंधक के द्वारा दिनांक 11-01-2019 को सूचना मेल पर प्राप्त हुई कि सूचना-पत्र का जबाब देने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जाये. संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक कारिणी समिति को कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये हैं जो कि जारी कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 24-11-2018 से संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष को लगातार दिनांक 05-12-2018 एवं 05-01-2019 तथा 11-01-2019 को जबाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया, परंतु संस्था के संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष के द्वारा जान बूझकर जबाब प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है इससे यह परिलक्षित होता है कि संस्था की प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष अधिनियम/नियम व उपनियम के अधीन कार्य करने हेतु रजामंद नहीं है.

अतः मैं, संजय दलेला, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें, चंबल संभाग मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 बी दिनांक 23-10-2010 के द्वारा प्राप्त पंजीयक की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये चंबल क्रय-विक्रय विपणन एवं भण्डारण सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड जिसका पंजीयन क्रमांक पंजीयन क्रमांक/JR/MNA/01 दिनांक 24-01-2012 से वर्ष

2011-12 से 2016-17 तक प्रस्तुत अंकेक्षण टीपों एवं संस्था के वित्तीय पत्रकों से प्रतीत होता है कि संस्था धरातल पर कार्य न करते हुये मात्र कागजी स्तर पर खानापूर्ति की जाने से चंबल क्रय-विक्रय विपणन एवं भण्डारण सहकारी संस्था भिण्ड को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें, अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें, अधिनियम 1960 की धारा 70 के अंतर्गत उप-आयुक्त सहकारिता जिला भिण्ड को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा यह आदेशित करता हूँ कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 14 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

संजय दलेला,
संयुक्त पंजीयक.

(82)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2018/2236.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/3144, दिनांक 21 अगस्त, 2017 के द्वारा संस्कारधानी मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या., जबलपुर जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 225 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री पी. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी.पी.प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्कारधानी मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या., जबलपुर जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 225 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

जी.पी.प्रजापति,
सहायक पंजीयक.

(81)

कार्यालय परिसमापक, शुभम श्री गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत]

शुभम श्री गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर तह. इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 695, दिनांक 12-9-1997 है, को उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थायें जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/18/3589, दिनांक 12-11-2018 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय-प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंतवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

के. ए.ल. कोरी,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(83)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 18 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक एवं दिनांक से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रं.	नाम संस्था	पंजीयन क्रं. व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	श्रीराम पुरुषार्थी को. ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, उज्जैन	27/31-10-1950	2114/02-09-2016

अतः मैं, व्ही. के. जोशी, उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ, कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/ आपत्ति या स्वतंत्र के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

व्ही. के. जोशी,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक।

(84)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 फरवरी, 2019-माघ 12 शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 29 अगस्त, 2018

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा। राज्य के निम्नांकित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।—

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:- तहसील चाचौड़ा (गुना), रहेली (सागर), मेहर (सतना), जवा (रीवा), थादला, मेघनगर (झाबुआ), जोवट, उदयगढ़, चं.शे.आ.नगर (अलीराजपुर), सांबर, इन्दौर, हातोद, मऊ अम्बेडकर नगर (इन्दौर), बड़वाह, महेश्वर, सेगाँव, खरगौन, गोगाँव, कसरावद, भीकनगाँव, झिरन्या (खरगौन), ठीकरी, राजकोट, पाटी, बरला (बड़वानी), खण्डवा, पुनासा, खालवा, पन्थाना, हरसूद (खण्डवा), खकनार, नैपानगर (बुरहानपुर), राजगढ़, व्यावरा, सारंगपुर, पचोर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), आष्टा, इच्छावर, श्यामपुर, जावर (सीहोर), रायसेन, सिलवानी (रायसेन), बैतूल, धैसदेही, घोड़ाड़ोंगरी, शाहपुर, चिचोली, मुलताई, आठनेर, आमला (बैतूल), बाबई (होशंगाबाद), हर्रई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(ब) 17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक:- तहसील श्योपुर (श्योपुर), भिण्ड (भिण्ड), भितरवार (ग्वालियर), बैराढ़ (शिवपुरी), बीना, देवरी, राहतगढ़ (सागर), बटियांगढ़ (दमोह), रघुराजनगर, उचेहरा, अमरपाटन (सतना), बुढ़ार, गोहपारू (शहडोल), अनूपपुर (अनूपपुर), सुभासरा, मानपुरा (मन्दसौर), जावर (नीमच), आलोट (रतलाम), मौमनबड़ोदिया, शुजालपुर, गुलाना (शाजापुर), पेटलावद (झाबुआ), कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), देपालपुर (इन्दौर), बड़वानी, सेंधवा (बड़वानी), बुरहानपुर (बुरहानपुर), बासोदा, नटेरन (विदिशा), सीहोर, गैरतगंज, बेगमगंज, गोहरगंज, बाड़ी, उदयपुरा, (रायसेन), सिवनीमालवा, इटारसी, सोहगपुर, पिपरिया, बनखेड़ा, पचमढ़ी (होशंगाबाद), हररा, खिड्किया, टिमरनी (हरदा), तेंदूखेड़ा (नरसिंहपुर), छिन्दवाड़ा, परासिया, जुन्नारदेव, उमरेठ, पांदुर्ना (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि.मी. तक वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(स) 35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक:- तहसील विजयपुर (श्योपुर), मेहगांव, रैन-मिहोना (भिण्ड), खनियाधाना (शिवपुरी), जतारा, बल्देवगढ़ (टीकमगढ़), बक्सवाहा (छतरपुर), पन्ना, शाहनगर (पन्ना), केसली (सागर), पथरिया (दमोह), रामपुरबघेलान, नागौद, बिरसिंहपुर (सतना), सिरमौर (रीवा), सोहगपुर (शहडोल), देवसर (सिंगराली), मल्हारगढ़, गरोठ, श्यामपुर, सीतामऊ (मन्दसौर), नीमच, मनासा (नीमच), जाबरा, सैलाना, ताल, रावटी (रतलाम), शाजापुर, कालापीपल (शाजापुर), पानसेमल, निबाली (बड़वानी), जीरापुर, खिलचीपुर (राजगढ़), गुलाबगंज, ग्यारसपुर (विदिशा), नसरुल्लागंज, रेहटी (सीहोर), बरेली (रायसेन), मुड़वारा, विजयराधोगढ़ (कटंगी), करेली, गाडरवाड़ा (नरसिंहपुर), निवास (मण्डला), शाहपुरा (डिण्डोरी), बिछुआ, अमरवाड़ा मोहखेड़ (छिन्दवाड़ा), छपारा, घन्सौर (सिवनी) में उक्त मि.मी. के अंतर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(द) 53.2 मि.मी. से 244.9 मि.मी. तक:- तहसील कराहल (श्योपुर), अटेर, गोहद, लहार (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा, घाटीगाँव (ग्वालियर), सेंवड़ा, दतिया, भाण्डेर (दतिया), शिवपुरी, पिछोर, नरवर, करैरा, कोलारस, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), मुंगावली, ईशागढ़, अशोकनगर, चन्द्रेरी (अशोकनगर), गुना, बमोरी, आरोन (गुना), निवाड़ी, पुथ्वीपुर, टीकमगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), बड़ामलहरा (छतरपुर), अजयगढ़, गुन्नौर, पवई (पन्ना), खुरई, बण्डा, सागर, गढ़कोटा, मालथोन, शाहगढ़ (सागर), हटा, हमोह, जबेरा, तेंदुखेड़ा, पटेरा (दमोह), मझगवां, रामनगर (सतना), त्यौंथर, मठगंज, हनुमना, हजूर, गुढ़, मनगवां, रायपुर कर्चु (रीवा), बाजना, पिपलोदा (रतलाम), भगवानपुरा (खरगोन), जबलपुर, कुण्डम, सीहोरा, पाटन, मझोली, शाहपुरा, पनागर (जबलपुर), बहोरीबन्द, धीमरखेड़ा, रीठी, पाटन, मझोली, शाहपुरा, पनागर (जबलपुर), बहोरीबन्द, धीमरखेड़ा, रीठी, बड़वारा, बरही (कटनी), नरसिंहपुर, गोटेगांव, (नरसिंहपुर), मण्डला, नैनपुर, बिछिया, बुघरी, नारायणगंज (मण्डला), तामियां, सौंसर, चौरई, चांद (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट, कुरई, लखनादौन, धनोरा (सिवनी), बालाघाट, लांजी, किरनापुर, बैहर, बारासिवनी, कटंगी, तिरोड़ी, परसवाड़ा (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(य) 244.1 मि.मी. से 449.9 मि.मी. तक:- तहसील औरछा (टीकमगढ़), कटंगी, लालबरा, खैरलांजी (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. जुताई :- जिला श्योपुर, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सतना, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, अलीराजपुर, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी में जुताई कार्य चालू न रहना प्रतिवेदित किया गया है।

3. बोनी:- जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, सिंगरौली, बड़वानी, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी व सिवनी में बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

4. रोपाई :- जिला ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, कटनी, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा में रोपाई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

5. कटाई:- ..

6. सिंचाई:- जिला टीकमगढ़, सागर, रीवा, शहडोल, उमरिया, मन्दसौर, नीमच, बड़वानी, बुरहानपुर, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

7. पशुओं की स्थिति:-राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।

8. चारा:- राज्य में प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

9. बीज:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

10. खेतिहर श्रमिकः- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त मात्रा तथा उचित दर पर प्राप्त होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 29 अगस्त, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. *जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. ... 8. ...
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. कैलारस	..				
6. सबलगढ़	..				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, सोयाबीन, मूँग, उड़द, कपास समान. (2) उपरोक्त - सुधरी.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	32.2				
2. कराहल	73.2				
3. विजयपुर	40.0				
4. वीरपुर	..				
5. बडोदा	..				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	62.0				
2. भिण्ड	32.0				
3. गोहद	9.0				
4. मेंहगांव	38.5				
5. लहार	79.2				
6. रौन+मिहोना	41.0				
7. गोरमी	..				
8. मौ	..				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई बोनी व धान रोपाई कार्य चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	69.3				
2. डबरा	55.4				
3. भितरवार	31.2				
4. चीनोर	..				
5. घाटीगांव	60.0				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई व धान रोपाई कार्य चालू.	3. .. 4. (1) गन्ना, उड़द, तिल, धान, अधिक मूँगफली समान, मूँग कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	59.0				
2. दतिया	144.0				
3. इन्द्रगढ़	..				
4. बढौनी	..				
5. भाण्डेर	58.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) मूँगफली, सोयाबीन अधिक. उड्ड कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	99.0				
2. पिछोर	62.2				
3. खनियाथाना	43.0				
4. नरवर	57.0				
5. करैरा	69.0				
6. कोलारस	117.0				
7. पोहरी	83.0				
8. बैराढ़	29.0				
9. बदरबास	83.0				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड्ड, मक्का अधिक. सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मुँगाबली	68.0				
2. ईसागढ़	125.0				
3. अशोकनगर	60.0				
4. चन्द्रेरी	88.0				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढ़ौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड्ड, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	72.9				
2. राघोगढ़	24.0				
3. बमारी	78.0				
4. आरान	62.0				
5. चाचौड़ा	8.0				
6. मक्सूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	37.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड्ड, मूँग, तिल अधिक. धान, ज्वार, सोयाबीन, मूँगफली, गना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	90.0				
2. पृथ्वीपुर	140.0				
3. जतारा	50.0				
4. टीकमगढ़	85.0				
5. बल्देवगढ़	42.0				
6. पलेरा	62.0				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	361.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गौरीहार	..				
2. नौगांव	..				
3. छतरपुर	..				
4. राजनगर	..				
5. बिजावर	..				
6. बड़ा मलहरा	63.6				
7. लवकुशनगर	..				
8. बक्सवाहा	43.2				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान रोपाई कार्य चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़ 2. पन्ना+देवेन्द्रनगर 3. अमानगंज+गुन्नौर 4. पवई+सिमरिया 5. शाहनगर+रैपुरा	69.2 37.1 89.8 168.0 47.6				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, उड्ड, सोयाबीन अधिक. ज्वार, मक्का, तूअर, तिल, मूँफली आलू-प्याज कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. जैसी नगर 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़	34.9 66.7 118.4 55.8 16.0 33.0 70.8 34.0 . . 48.0 76.0 72.0				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मूँग, ज्वार अधिक. उड्ड, धान, मक्का, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा 2. बटियागढ़ 3. दमोह 4. पथरिया 5. जब्रेगा 6. तेन्दूखेड़ा 7. पटेरा	60.0 26.3 68.0 38.0 122.0 135.0 88.0				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) धान, उड्ड, मूँग, तुअर, सोयाबीन, तिल, कोदो-कुटकी कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर 2. मझगवां 3. रामपुर-बघेलान 4. नागौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. बिरासिंहपुर	23.8 90.0 45.0 38.0 25.0 25.0 67.0 14.0 42.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. बोनी व धान रोपाई चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मूँग, उड्ड, सोयाबीन, ज्वार, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हजूर 6. गुढ़ 7. मनगवां 8. सेमरिया 9. जवा 10. नईगढ़ी 11. रायपुरकर्चुलियान	156.0 37.2 67.4 160.9 97.1 216.8 56.7 . . 6.8 . . 86.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोलः	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू धान रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड्ड, तिल अधिक. सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहगापुर	40.0				
2. ब्यौहारी	66.0				
3. जयसिंहनगर	98.0				
4. बुढ़ार	24.0				
5. गोहपारू	30.0				
6. जैतपुर	124.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, तुअर, कोदों-कुटकी, उड्ड अधिक. सोयाबीन तिल कम, धान, तुअर सुधरी हुई. शेष फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	98.4				
2. अनूपपुर	34.5				
3. कोतमा	88.0				
4. पुष्पराजगढ़	208.7				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	131.7				
2. पाली	187.9				
3. चांदिया	..				
4. नौरोजाबाद	..				
5. मानपुर	79.2				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. .. 4. (1) धान, तुअर, तिल, उड्ड, मूँग कम, ज्वार, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	93.0				
2. सिंहावल	87.0				
3. मझौली	97.0				
4. कुसमी	84.0				
5. चुरहट	147.5				
6. बहरी	119.4				
7. रामपुरानैकिन	98.0				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू.	3. .. 4. (1) मक्का, ज्वार, कोदों-कुटकी समान. तुअर, धान कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	87.1				
2. देवसर	47.8				
3. सरई	..				
4. माडा	..				
5. सिंगरौली	87.2				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का कम. सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा	25.6				
2. भानपुरा	24.8				
3. मल्हारगढ़	52.0				
4. गरोठ	50.4				
5. मंदसौर+दलोदा	94.5				
6. श्यामगढ़	40.8				
7. सीतामऊ	43.4				
8. धुंधड़क्का	..				
10. संजीत	..				
11. कथामपुर	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4.(1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक. उड्ड, मक्का, तुअर मूँग तिल, ज्वार कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधारी हुईं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जावद	30.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. नीमच	50.0				
3. सिंगौली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	38.0				
23. जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4.(1) सोयाबीन समान. मक्का, कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जावरा	39.6				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. आलोट	20.0				
3. सैलाना	48.0				
4. बाजना	58.0				
5. ताल	36.6				
6. रावटी	44.0				
7. पिपलोदा	61.6				
8. रत्लाम	24.8				
24. *जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. .. 6. ..
1. खाचरौद	..				7. .. 8. ..
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) सोयाबीन. (2) सोयाबीन समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बड़ौदा	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	14.2				
3. नलखेड़ा	8.6				
4. आगर	4.0				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार, तुअर, उड्ड अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	20.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	43.6				
3. शुजालपुर	34.2				
4. कालापीपल	50.0				
5. पोलाय कलां	..				
6. गुलाना	32.0				
27. *जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..
1. सोनकच्छ	..				7. .. 8. ..
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिपल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, ज्वार, सोयाबीन, तुअर अधिक. कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. थांदला 2. मेघनगर रामा 3. पेटलावद 4. रामा 5. झाबुआ 6. राणापुर	8.8 1.0 17.6				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, कपास अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीवाड़ा 4. सॉडवा 5. उदयगढ़ 6. चन्द्रशेखर आ. नगर 7. भामरा	9.8 .. 27.0 .. 15.4 11.9 ..				
30.* जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सावर 3. इन्दौर 4. गोतमपुरा 5. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	24.0 6.0 14.5 13.0 13.0				
32. जिला खरगोन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, मक्का, मूँफली, कपास, तुअर अधिक, ज्वार कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेगांव 4. खरगोन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. सनावद 10. झिरन्या	2.0 11.4 11.0 7.7 6.0 12.0 72.3 4.0 .. 10.2				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू	3. .. 4.(1) सोयाबीन, मक्का, कपास, ज्वार अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वानी 2. ठीकरी 3. राजपुर 4. सेंधवा 5. पानसेमल 6. पाटी 7. अंजड 8. बरला 9. निवाली 10. चाचरिया	23.2 11.0 17.0 19.0 47.0 4.0 .. 15.0 44.0 ..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, धान, कपास, मक्का, मूँगफली, ज्वार, तूअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. खण्डवा	12.0				7. पर्याप्त 8. पर्याप्त
2. पुनासा	5.0				
3. खालवा	14.0				
4. पंधाना	2.0				
5. हरसूद	11.0				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) कपास, गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	28.5				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. खकनार	8.6				
3. नेपानगर	11.0				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2.		3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. राजगढ़	9.1				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	44.4				
3. खिलचीपुर	43.0				
4. ब्यावरा	11.8				
5. सारंगपुर	13.0				
6. पचोरे	2.0				
7. नरसिंहगढ़	1.0				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, उड्ड उड्ड समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. लटेरी	103.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	147.0				
3. कुरवाई	74.0				
4. बासोदा	27.6				
5. नटेरन	33.0				
6. विदिशा	104.2				
7. गुलाबगंज	45.0				
8. समसाबाद	..				
9. त्योंदा	..				
10. पठारी	..				
11. ग्यारसपुर	37.0				
38. *जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. .. 7. .. 8. ..
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
3. बैरागड	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) मक्का, उड्ड अधिक. गन्ना, धान समान. सोयाबीन, ज्वार, मूँग-मॉंठ, तूअर कम. (2)उपरोक्त फसलें समान है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. सीहोर	27.2				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. आष्टा	11.0				
3. इच्छावर	16.0				
4. नसरुल्लागंज	37.0				
5. रेहटी	49.0				
6. श्यामपुर	15.0				
7. जावर	1.0				
8. बुधनी	18.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2.	3. . . 4. (1) सोयाबीन, धान, तुअर, मक्का, उड़द, मूंग, मूँगफली, (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	13.8				
2. गैरतगंज	21.8				
3. बेगमगंज	32.0				
4. गोहरगंज	23.0				
5. बरेली	35.4				
6. सिलवानी	16.8				
7. बाड़ी	25.0				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	23.0				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैतूल	12.0				
2. भैसदेही	13.0				
3. घोड़ाडोंगरी	17.3				
4. शाहपुर	12.0				
5. चिचोली	10.6				
6. मुल्ताई	16.3				
7. आठनेर	13.1				
8. आमला	15.0				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, मूँगफली अधिक. तुअर, उड़द, मूंग, गना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	39.6				
2. सिवनी-मालवा	20.0				
3. बावई	14.0				
4. इटारसी	26.2				
5. सोहागपुर	25.0				
6. पिपरिया	24.0				
7. बनखेड़ी	20.4				
8. डोलरिया	..				
9. पचमढ़ी	26.6				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, मक्का, उड़द, मूंग अधिक. सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	34.1				
2. खिड़किया	26.4				
3. सिराली	..				
4. रेहटगांव	..				
5. हॉडिया	..				
6. टिमस्नी	24.4				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, मूँग कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जबलपुर	161.3				
2. कुण्डम	128.6				
3. सीहोरा	196.4				
4. पाटन	101.2				
5. मझौली	143.4				
6. शाहपुरा	184.5				
7. पनागर	210.4				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू धान, रोपाई चालू.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	77.0				
2. ढीमरखेड़ी	107.0				
3. रीठी	83.6				
4. बड़वारा	87.0				
5. मुड़वारा (कटनी)	52.0				
6. विजयराघवगढ़	44.5				
7. बरही	63.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर : 1. नरसिंहपुर 2. गोटेगांव 3. करेली 4. गाडरवारा 5. तेंदूखेड़ा	मिलीमीटर 61.0 220.0 49.0 36.0 29.0	2.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
47. जिला मण्डला : 1. मण्डला 2. नैनपुर 3. बिछिया 4. निवास 5. नारायणगंज 6. घुघरी	मिलीमीटर 213.8 64.3 82.6 45.4 102.1 85.3	2. जुताई एवं बोनी चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
48. जिला डिणडोरी : 1. डिणडोरी 2. शाहपुरा 3. बजाग	मिलीमीटर 61.4 52.0 75.6	2. जुताई एवं बोनी चालू धान, रोपाई चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
49. जिला छिन्दवाड़ा : 1. छिन्दवाड़ा 2. तामिया 3. परासिया 4. जुन्नारदेव 5. सांसर 6. बिछुआ 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. उमरेठ 10. मोहखेड़े 11. हर्ई 12. चारद 13. पांढुरांगा	मिलीमीटर 31.2 56.0 19.3 23.8 70.0 44.0 43.0 57.6 25.2 37.0 11.6 62.8 24.4	2. धान, रोपाई चालू	3. .. 4. (1) धान, मक्का अधिक. मँगफली समान. सायाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
50. जिला सिवनी : 1. सिवनी 2. बरघाट 3. कुरई 4. कवलारी 5. लखनादान 6. छपारा 7. धनोरा 8. घंसोर	मिलीमीटर 130.2 165.2 145.0 43.5 80.7 50.5 53.2 51.2	2. जुताई एवं बोनी चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
51. जिला बालाघाट : 1. बालाघाट 2. लाँजी 3. किरनापुर 4. बैहर 5. वारासिवनी 6. कटंगी 7. लालबरा 8. तिरोडी 9. परसवाड़ा 10. बिरसा 11. खैरलाँजी	मिलीमीटर 188.6 84.6 181.6 64.0 123.5 261.3 260.0 149.2 156.9 .. 347.5	2. ..	3. .. 4. (1) धान समान. (2) धान समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

*जिला:- जिला मुरैना, उज्जैन, देवास, झाबुआ, धार, भोपाल से पत्रक अप्राप्त है।

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.